राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
...राम पुत्र खेराजराम जाति प्रजापत निवासी ...ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1 खिया पुत्र सोना 2 पीरा पुत्र सोना 3 माला पुत्र सोना 4 गोरधन पुत्र जेठाराम 5 नानकाराम पुत्र जेठाराम 6 पुनमाराम पुत्र जेठाराम 7 जिया पत्नी जेठाराम 8 जियाराम पुत्र खेराजराम 9 वीराराम पुत्र खेराजराम 10 धापू पत्नी खेराजराम जातियान प्रजापत निवासीगण धुड़ावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 11 तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 29 /2025

..../25 प्रार्थी निम्बाराम पुत्र खेराजराम जाति प्रजापत निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालदान **चारण** वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा **के मौजा पांधी का निवाण पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. सारला के खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या** 276/211 **रकबा 7.8104 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तहसील सेड़वा के मौजा पांधी का निवाण पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. सारला के खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या 276/211 रकबा 7.8104 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी पेशी तारीख 27/03/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

27/03/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/05/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

15/05/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। चूंकि मतवाद जरिए राजीनामा [illegible] किया जा चुका है तो इस आवेदन को [illegible] औचित्य नहीं है। अत: इस आवेदन की कार्यवाही [illegible] पर समाप्त की जाती है। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो। मतवाद [illegible]

निम्बाराम
(हस्ताक्षर)
(वकील)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:56:42 IST
Reason: SelfAttested